



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

सचिव,
सीओएसओआईओ,
एजुकेशनल सोसाइटी,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 24 जुलाई, 2026

विषय:- जनपद-लखनऊ में सीओएसओआईओ एजुकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/कोषाध्यक्ष, सीओएसओआईओ एजुकेशनल सोसाइटी, संस्कृति स्कूल, लखनऊ के पत्र संख्या-26/एसओएसओ/2026-27 दिनांक 06.07.2026 एवं शासनादेश संख्या: 113/2026/596/आठ-1-26-08बजट/17, दिनांक 03.06.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद-लखनऊ में सीओएसओआईओ एजुकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹0 1200.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 300.00 लाख (तीन करोड़ मात्र) आहरित कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) धनराशि का कोषागार से आहरण प्रत्येक माह यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (2) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (3) व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वित्तीय धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19 जून 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपॉजिट खाते में न रखने, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना सोसाइटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) द संस्कृति स्कूल (सीओएसओआईओ एजुकेशनल सोसाइटी), लखनऊ द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अगले शैक्षिक सत्र से विद्यालय के **Operations** को **Self sustaining** कर लिया जाए ताकि अगले शैक्षिक सत्र से **operational expenses** का वहन शासन को न करना पड़े।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (10) प्रश्नगत धनराशि गैर वेतन मद का है, इससे वेतन देय नहीं होगा।
- (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (13) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (14) उक्त वित्तीय स्वीकृति का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा तैयार कर तत्काल कोषागार से धनराशि आहरण कर इसकी सूचना शासन को तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को दी जायेगी एवं आहरित धनराशि सचिव, सी०एस०आई० एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यामिक विद्यालयों को सहायता-03-संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी०एस०आई० एजुकेशनल सोसाइटी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-8-233-X-2026-27-दिनांक: 22-7-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया गया है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या: 138/2026/840(1)/आठ-1-26-08बजट/17.तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. सचिव, सी०एस०आई० एजुकेशनल सोसायटी (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु सोसाइटी का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक एवं आई०एफ०एस०सी० कोड की सूचना, ई-मेल आई०डी०, ddoawash@gmail.com पर एवं हार्ड कापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर सचिव, सी०एस०आई० एजुकेशनल सोसायटी, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।